न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

करण संख्या: 55/22 **दायर दिनांक: 24.05.2022**
सीएमएस नं. 2022/133

उनवान

यादवेन्द्र पुत्र स्व. श्री ब्रह्मदत्त 2. विमला पत्नि श्री भूपेन्द्र कुमार पाण्डेय जाति ब्राह्मण नि. एस.बी.आई. क के पास भुसावर, तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.

––वादीगण

बनाम

1. रविन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री शिवदत्त जाति ब्राह्मण नि. ढिलवारी मौहल्ला भुसावर, हाल नि. सुभद्रा भवन मकान नं. 14 कृष्णा नगर भरतपुर जिला भरतपुर राज.
2. रूद्रदेव पाण्डेय पुत्र श्री योगेन्द्र कुमार पाण्डेय जाति ब्राह्मण नि. ढिलवारी मौहल्ला भुसावर, हाल नि. ई–38 नंदनी रेजीडेंसी सरस्वती नगर ई.एच.सी.सी. जयपुर के पीछे मालवीय नगर जयपुर राज.
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील भुसावर जिला भरतपुर राज.।

––प्रतिवादीगण

दावा विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता :–

1. श्री पदमेश शर्मा ––वादीगण
2. श्री चन्द्रशेखर तिवारी ––प्रति. सं. 2
3 श्री पवन तिवारी –– प्रति सं. 1

संशोधित निर्णय दिनांक 10.04.2026

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.ए. का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वाके भुसावर प्रथम तह. भुसावर जिला भरतपुर में स्थित आ.ख.नं. 1747 रकबा 0.43 एवं 1749 रकबा 0.28 है. किता 2 कुल रकबा 0.71 है. में वादीगण प्रत्येक 1/4, 1/4 हिस्से के एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 प्रत्येक 1/4, 1/4 हिस्से के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है। और इसी प्रकार से वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 अपने–अपने हिस्से की आराजी का राज लगान राज्य सरकार को अदा करते चले आ रहे है।

उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की अविभाज्य जायदाद है, जिसका वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य कानूनी रूप से कोई विभाजन नहीं हुआ है, और संयुक्त रूप से ही काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है।

प्रतिवादी सं. 1 व 2 लठैत व ताकतवर व हर प्रकार से साधन सम्पन्न व प्रभावशाली है, जिनके मन में बदनीयती आ रही है, और वादीगण को उनके हिस्से की आराजी समुचित लाभ नही लेने दे रहे है, तथा वादीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करने लगे हैं, और बिना कोई विभाजन कराये मौके की आराजी में पुख्ता निर्माण करने पर आमादा है।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०

वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 व 2 से दिनांक 17.04.2022 को उपरोक्त तथाकथित आराजी का कानूनी तौर पर विभाजन कराने बाबत कहा, तो उन्होने साफ इन्कार करते हुये वादीगण को खुले आम यह धमकी दी कि अब हम तुम्हें तुम्हारी आराजी में किसी कीमत पर काश्त नहीं करने देंगे, और ना ही तुम्हे आराजी बाबत कोई लाभ लेने देंगे, और तुम्हें बेदखल कर कब्जा करके छोडेंगें, तथा हम अपनी मर्जी से आराजी में पुख्ता निर्माण करके रहेंगें, तथा आराजी को किसी दीगर सख्स को रहन वय मुन्तकिल करके छोडेगें।

अतः वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आराजी का कानूनी विभाजन करा पाने का अधिकारी है। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि उक्त वर्णित आराजीयात का जब तक कानूनी विभाजन नहीं हो जाता तब तक प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने बाबत निवेदन किया गया है।

वादी का वाद दर्ज रजि. किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजि. डाक की गई नोटिस की ताईद में अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री पवन तिवारी एड. व अप्रार्थी सं. 2 की ओर से श्री चन्द्रशेखर तिवारी उपस्थित आये।

दावा वादी प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 15.05.2024 को किया जाकर विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार, भुसावर को लिखा गया। जिसकी पालना में तहसीलदार, भुसावर द्वारा उनके पत्रांक/एल.आर./2025/918 दिनांक 10.03.2025 से विभाजन प्रस्ताव भिजवाया गया।

उक्त विभाजन प्रस्ताव पर प्रार्थी/वादी यादवेन्द्र वगै. द्वारा आपत्ति लगाई गई। जिसका जवाब अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत किया गया। हमने बहस आपत्ति पर सुनी गई। आपत्ति प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया।

हमने दावे पर बहस उभयपक्ष की सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड एवं विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार, भुसावर का भली भांति अध्ययन किया गया।

उक्त के आधार पर दिनांक 30.04.2025 को दावा वादीगण डिक्री किया गया।

लेकिन निर्णय दिनांक 30.04.2025 में तहसीलदार, भुसावर के पत्रांक/एल.आर./2025/918 दिनांक 10.03.2025 द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव में वाके ग्राम भुसावर प्रथम के खसरा नंबर 1747 रकबा 0.43 हैक्टे. के विभाजन प्रस्ताव में क्रम संख्या 1 लगायत 5 तक किये गये विभाजन में योग करने पर कुल रकबा 0.43 हैक्टे. के स्थान पर 0.42 हैक्टे. गलत दर्ज हो गया है एवं इसी प्रकार खसरा नंबर 1749 रकबा 0.28 हैक्टे. में विभाजन क्रम संख्या 1 लगायत 5 तक किये गये विभाजन में योग करने पर कुल रकबा 0.28 हैक्टे. के स्थान पर 0.29 हैक्टे. गलत दर्ज हो गया है। तहसीलदार, भुसावर द्वारा भिजवाये गये उक्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार ही न्यायालय हाजा द्वारा ही दावा वादी डिक्री किया गया।

अतः उक्त को शुद्ध कराने हेतु वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत किये जाने रिव्यू निर्णय व डिक्री दिनांक 30.04.2025 अन्तर्गत धारा 114 सपठित आदेश 47 नियम 1 जा.दी. पेश किया। प्रार्थना पत्र पर प्रतिवादी अधिवक्तागण द्वारा अनापत्ति दर्ज कराई।

रिव्यू प्रार्थना पत्र बहस पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड तथा विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार, भुसावर का भली भांति अवलोकन किया गया। रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 114 सपठित आदेश 47 नियम 1 जा.दी. को स्वीकार किया गया।

अतः दावा वादी डिक्री किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आपके पत्रांक/एल.आर./2025/918 दिनांक 10.03.2025 से भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव में क्रम संख्या 5 पर अंकित खसरा नंबर 1747/1 रकबा 0.05 हैक्टे. के स्थान पर 0.06 हैक्टे. तथा खसरा नंबर 1749/1 रकबा 0.06 हैक्टे. के स्थान पर 0.05 हैक्टे. पढ़ा जावें। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम, 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

रण सख्या: 55 / 22 दायर दिनांक: 24.05.2022
सीएमएस नं. 2022 / 133

उनवान

यादवेन्द्र पुत्र स्व. श्री ब्रह्मदत्त 2. विमला पत्नि श्री भूपेन्द्र कुमार पाण्डेय जाति ब्राह्मण नि. एस.बी.आई. क के पास भुसावर, तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.

––वादीगण

बनाम

. रविन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री शिवदत्त जाति ब्राह्मण नि. ढिलवारी मौहल्ला भुसावर, हाल नि. सुभद्रा भवन मकान नं. 14 कृष्णा नगर भरतपुर जिला भरतपुर राज.
2. रूद्रदेव पाण्डेय पुत्र श्री योगेन्द्र कुमार पाण्डेय जाति ब्राह्मण नि. ढिलवारी मौहल्ला भुसावर, हाल नि. ई–38 नंदनी रेजीडेंसी सरस्वती नगर ई.एच.सी.सी. जयपुर के पीछे मालवीय नगर जयपुर राज.
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील भुसावर जिला भरतपुर राज.।

––प्रतिवादीगण

दावा विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता :–

1. श्री पदमेश शर्मा ––वादीगण
2. श्री चन्द्रशेखर तिवारी ––प्रति. सं. 2
3 श्री पवन तिवारी –– प्रति सं. 1

संशोशित डिक्री 10.04.2025

दावा वादी डिक्री किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आपके पत्रांक / एल.आर. / 2025 / 918 दिनांक 10.03.2025 से भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव में क्रम संख्या 5 पर अंकित खसरा नंबर 1747 / 1 रकबा 0.05 हैक्टे. के स्थान पर 0.06 हैक्टे. तथा खसरा नंबर 1749 / 1 रकबा 0.06 हैक्टे. के स्थान पर 0.05 हैक्टे. पढ़ा जावें। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)